संख्या-8/2019/1970/33-1-2019-1016/19

प्रेषक,

प्रीति शुक्ला,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

पंचायती राज अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँकः 14 अगस्त, 2019**

विषय:-ग्राम प्रधान एवं सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-10550/2019 सन्तोष कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गई है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 28.5.2019 का संगत अंश निम्नवत् है :-

Let the State Government issue the G.O. notifying the District Level Officers for the purposes of inquiry as per the Rules, 1997 positively within one month.

2- स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज (प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जाँच नियमावली, 1997 के नियम-2 (ग) में उल्लेख किया गया है कि "जाँच अधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायतराज अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी से है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत वाद ग्राम प्रधान को हटाये जाने से सम्बन्धित है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा ग्राम प्रधानों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु नामित जनपद स्तरीय अधिकारियों के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में जनपद स्तरीय अधिकारियों की सूची निम्नवत् है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	पदनाम (जनपद स्तरीय अधिकारी)
1.	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
2.	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
3.	मुख्य विकास अधिकारी
4.	मुख्य राजस्व अधिकारी
5.	जिला विकास अधिकारी
6.	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
7.	उपायुक्त, श्रम रोजगार (मनरेगा)
8.	उपायुक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
9.	जिला उद्यान अधिकारी
10.	जिला पंचायत राज अधिकारी
11.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
12.	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
13.	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
14.	जिला दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण अधिकारी
15.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
16.	जिला समाज कल्याण अधिकारी
17.	जिला प्रोबेशन अधिकारी
18.	जिला कार्यक्रम अधिकारी
19.	उप निदेशक (कृषि)
20.	जिला कृषि अधिकारी
21.	जिला कृषि रक्षा अधिकारी
22.	भूमि संरक्षण अधिकारी
23.	जिला विद्यालय निरीक्षक
24.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
25.	वरिष्ठ कोषाधिकारी
26.	सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग
27.	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
28.	परियोजना प्रबन्धक भूमि सुधार निगम
29.	जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी
30.	जिला पूर्ति अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

31.	जिला क्रीड़ा अधिकारी
32.	जिला गन्ना अधिकारी
33.	जिला आबकारी अधिकारी
34.	जिला सेवायोजन अधिकारी
35.	जिला सहायक निबन्धक
36.	जिला प्रशिक्षण अधिकारी
37.	जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी
38.	युवा कल्याण एवं प्रा0वि0द0 अधिकारी
39.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
40.	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
41.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम

उपरोक्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के अतिरिक्त जनपदों में तैनात ऐसे जिला स्तरीय अधिकारी भी समाहित माने जाय, जिन्हें उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जाँच नियमावली, 1997 के नियम-2 (ग) में विद्यमान व्यवस्थानुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट जनपद स्तर का अधिकारी हो।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों के विरूद्ध जाँच हेतु जाँच अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रीति शुक्ला)

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या व दिनांक- तदैव।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, (पंचायत) उत्तर प्रदेश।

8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।